सं0 163/राजस्व/2022-23 दि0 28/04/2022

# नगर निगम वाराणसी

कृपया गोदौलिया क्षेत्र में जनहित हेतु वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तत्वाधान में गोदौलिया ताँगा स्टैण्ड/संजय गांधी मार्केट के पास दो पहिया मल्टी लेवल पार्किंग में निर्मित दुकानों के आवंटन हेतु समिति की बैठक पत्रांक सं0 33ए/अ0न0आ0/2022–23 दि0 25.04.2022 को प्रस्तावित थी, समिति के बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर निम्नवत रूप से दुकानें आवंटित की जाती हैं–

| क्र0 | आवंटी का नाम | आवंटित दुकान सं0 |
|---|---|---|
| 1. | मूल आवंटी–शम्भू नाथ, (मृतक) के विधिक वारिस को आवंटित | 1 |
| 2. | मूल आवंटी–केला राम, (मृतक) के विधिक वारिस को आवंटित | 2 |
| 3. | मूल आवंटी–प्रीतम सिंह, (मृतक) के विधिक वारिस को आवंटित | 3 |
| 4. | मूल आवंटी–चमेली देवी पत्नी कृष्णानन्द दूबे, (मृतक) के विधिक वारिस को आवंटित | 4 |
| 5. | मूल आवंटी–संतोष यादव पुत्र स्व0 गोपीनाथ | 5 |
| 6. | मूल आवंटी–काल्पा देवी पत्नी भगवती प्रसाद शिकमी/वरासतन आवंटित–श्रीमती सुदामा देवी पत्नी श्री मिठाई लाल स्वयं अथवा विधिक वारिस को आवंटित | 6 |
| 7. | मूल आवंटी–केशव प्रसाद पुत्र स्व0 पतिराज (मृतक) के विधिक वारिस को आवंटित (सुलहनामा के आधार पर) | 7 |
| 8. | मूल आवंटी–गिरजा शंकर पुत्र स्व0 ठाकुर प्रसाद (मृतक) के विधिक वारिस को आवंटित | 8 |
| 9. | मूल आवंटी–नरेश प्रसाद पुत्र केशव सरदार, (मृतक) के विधिक वारिस को आवंटित | 9 |
| 10. | मूल आवंटी–देव नरायन लाल पुत्र स्व0 हरिश्चन्द्र (मृतक) के विधिक वारिस को आवंटित | 10 |
| 11. | मूल आवंटी–गोविन्द यादव पुत्र रामधारी यादव | 11 |
| 12. | मूल आवंटी–हंसायत, (मृतक) के विधिक वारिस को आवंटित | 12 |
| 13. | मूल आवंटी–उधव राम, (मृतक) के विधिक वारिस को आवंटित | 13 |
| 14. | मूल आवंटी–भोजमल, (मृतक) के विधिक वारिस को आवंटित | 14 |
| 15. | मूल आवंटी–विनोद यादव पुत्र कुन्जू सरदार | 15 |
| 16. | मूल आवंटी–श्री हेमन्त राघानी पुत्र स्व0 भगवान दास | 16 |
| 17. | मूल आवंटी–इन्द्रजीत पुत्र स्व0 भगत जीवन सिंह | 17 |
| 18. | मूल आवंटी–श्री श्याम सुन्दर पुत्र अज्ञात/उनके विधिक वारिस को आवंटित | 18 |
| 19. | मूल आवंटी–श्री सेवा राम पुत्र स्व0 मुरलीधर | 19 |
| 20. | मूल आवंटी–कुन्दन पुत्र अज्ञात, वारिस–श्री अशोक कुमार राघानी | 20 |
| 21. | मूल आवंटी–दीपक लखानी पुत्र नत्थू मल | 21 |
| 22. | मूल आवंटी–महेश कुमार पुत्र मुरलीधर | 22 |
| 23. | मूल आवंटी–श्री चन्दन लखानी पुत्र दीपक लखानी | 23 |
| 24. | मूल आवंटी–श्री राजेश लखानी पुत्र नत्थू मल | 24 |
| 25. | मूल आवंटी–दिलीप कुमार श्रीवास्तव पुत्र श्री रामजी लाल | 25 |
| 26. | मूल आवंटी–सत्य पाल पुत्र स्व0 रामप्रसाद | 26 |
| 27. | मूल आवंटी–श्री विजय शर्मा पुत्र स्व0 श्याम बिहारी, (मृतक) के विधिक वारिस को आवंटित | 27 |
| 28 | मूल आवंटी–शिशु पाल पुत्र स्व0 प्रताप नरायण | 28, 29 |
| 29 | मूल आवंटी–श्री ध्रुव ज्योति शर्मा पुत्र श्री भानुकिशन शर्मा | 30 |
| 30 | मूल आवंटी–श्रीमती सुधा शर्मा पत्नी श्री ध्रुव ज्योति शर्मा | 31 |
| 31 | मूल आवंटी–नरायन दास पुत्र परमानन्द, (मृतक) के विधिक वारिस को आवंटित | 32 |
| 32 | मूल आवंटी–मंगल प्रसाद पुत्र स्व0 राजाराम, (मृतक) के विधिक वारिस को आवंटित | 33 |

उक्त प्रकरण में आवंटन के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि मा0 सदन द्वारा पारित संकल्प संख्या–64 दिनांक 06.01.2013 जिसमें शिकमी/वरासतन किरायेदार को नियमतिकरण किये जाने हेतु प्रिमियम की दर तथा मासिक किराया निर्धारित किया गया है जो निम्नवत है:–

| क्र0 | क्षेत्रफल | शिकमी किरायेदारों हेतु नियमितिकरण शुल्क | वरासतन किरायेदारों हेतु नियमितीकरण शुल्क | किराया दर शिकमी/वरासतन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 वर्गफुट से 100 वर्गफुट तक | 20,000.00 | 10,000.00 | रू0–500.00 अथवा ए.डी.एम. वित्त द्वारा प्रस्तावित किराया जो अधिक हो लागू होगा |
| 2 | 101 वर्गफुट से 200 वर्गफुट तक | 30,000.00 | 15,000.00 | रू0–750.00 अथवा ए.डी.एम. वित्त द्वारा प्रस्तावित किराया जो अधिक हो लागू होगा । |
| 3 | 201 वर्गफुट से 300 वर्गफुट तक | 40,000.00 | 20,000.00 | रू0–1000.00 अथवा ए.डी.एम. वित्त द्वारा प्रस्तावित किराया जो अधिक हो लागू होगा । |
| 4 | 301 वर्गफुट से 400 वर्गफुट तक | 50,000.00 | 25,000.00 | रू0–1250.00 अथवा ए.डी.एम. वित्त द्वारा प्रस्तावित किराया जो अधिक हो लागू होगा । |
| 5 | 401 वर्गफुट से उपर की दुकाने | 75,000.00 | 37,500.00 | रू0–1500.00 अथवा ए.डी.एम. वित्त द्वारा प्रस्तावित किराया जो अधिक हो लागू होगा । |

पुनः मा0 सदन द्वारा पारित संकल्प संख्या 74 जिसमें शिकमी/वरासतन किरायेदारों के किराये में तीन वर्ष बाद 25 प्रतिशत बृद्धि के स्थान पर 15 प्रतिशत की बृद्धि को स्वीकार करते हुए किराया 01 फरवरी 2013 से लागू किया जाय एवं 15 वर्ष तक के लिए अनुबन्ध किया जाय।

पुनः मा0 सदन द्वारा पारित संकल्प संख्या 27 व 28 दिनांक 28.10.2015 में नगर निगम की दुकान के आवंटियों को शिकमी/वरासतन के आधार पर नामांतरण करते हुए ए.डी.एम. (राजस्व) वाराणसी द्वारा निर्धारित किराया शुल्क का 50 प्रतिशत करते हुए कार्यवाही की जाय।

**शर्तें:–**

1. यह कि मा0 सदन द्वारा पारित संकल्प संख्या 64 दिनांक 06.01.2013 एवं संकल्प संख्या 74 दिनांक 18.02.2013 के अनुसार वरासतन किरायेदारों हेतु नियमितिकरण शुल्क धनराशि रू0 10000.00 देय होगा जो नियमितिकरण शुल्क वापस अथवा समायोजित नही होगा।
2. यह कि निर्धारित किराया रू0.....प्रतिमाह की दर से 11 माह का जमानत की धनराशि रू0.....निगम कोष में जमा होगा जो वापस अथवा समायोजित नही होगा।
3. यह कि किराये में प्रत्येक तीन वर्ष पर 15 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
4. ए0डी0एम0 (वित्त) वर्ष 2014 के अनुसार निर्धारित किराया रू0.....प्रतिमाह देय होगा।
5. यह कि अनुबन्ध केवल 15 वर्ष तक के लिए ही किया जाय तथा अनुबन्ध की कार्यवाही निर्धारित स्टाम्प पेपर पर नियमानुसार किरायेदार को करानी होगी। स्टाम्प पेपर आदि का व्यय किरायेदार को देना होगा।

6. यह कि हर माह के 7 तारीख तक किराया पिछले माह का जमा करना होगा। 7 तारीख तक किराया न जमा करनें पर 8 तारीख से माह के अंत तक जमा करनें की तिथि में 10 प्रतिशत अतिरिक्त किराया बिलम्ब शुल्क के रुप में देय होगा। दो माह के अन्दर जमा करनें पर 15 प्रतिशत अतिरिक्त किराया बिलम्ब शुल्क के रुप में जमा करना होगा। 3 माह के अन्दर जमा करने पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त किराया बिलम्ब शुल्क के रुप में देय होगा। 3 माह तक किराया न जमा करनें पर किरायेदारी स्वतः समाप्त हो जायेगी।
7. यह कि किरायेदार नगर आयुक्त के पूर्व अनुमति के न तो दुकान में कोई रद्दोबदल करेगा न तो कोई छति पहुंचायेगा एवं न तो अनुबन्ध के किसी शर्तों का उल्लंघन करेगा। ऐसा करनें पर बिना किसी नोटिस दिये ही उसकी किरायेदारी स्वतः समाप्त कर दी जायेगी।
8. उपरोक्त परिस्थिति के बाद नगर निगम बिना किसी नोटिस के दुकान पर कब्जा प्राप्त कर उसका विधिवत आवंटन किसी अन्य के पक्ष में कर देगा।
9. किरायेदार नगर निगम के दुकान में कोई विधि विरुद्ध व्यवसाय/कारोबार नही करेगा।
10. दुकान में किरायेदार को विद्युत/जल संयोजन की व्यवस्था स्वयं के व्यय पर करना होगा।
11. किरायेदार अपनें परिवार के किसी सदस्य को नामिनी के रुप में नामित कर सकता है। किरायेदार को अपनें जीवनकाल में नामांकन बदलनें का भी अधिकार रहेगा। भविष्य में शिकमी/वरासतन के रुप में नामांतरण करनें पर नगर निगम केवल उसी नामित व्यक्ति के संदर्भ में विचार कर सकता है।
12. शपथ पत्र/अनुबन्ध के साथ नामांतरण व्यक्ति का फोटो संलग्न/चस्पा करना अनिवार्य होगा।
13. वारिसान या मूल आवंटी के द्वारा सहमति पत्र के आधार पर या अन्य किसी भी विवाद के सम्बन्ध में नगर आयुक्त का निर्णय अन्तिम व सभी पक्षों को मान्य होगा।

तद्नुसार उपरोक्त आवंटियों को एवं मूल आवंटी के वारिसानों को मा0 सदन द्वारा पारित संकल्प के अनुसार आवंटित किये जाने हेतु वारिस प्रमाण पत्र एक पक्ष (15 दिवस) में प्रस्तुत किया जाना होगा। समयोपरान्त किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि किसी दुकान पर कोई विधिक वारिस उपस्थित नहीं होता है तो तद्नुसार नगर निगम वाराणसी द्वारा नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। वारिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात निर्धारित नियमितिकरण शुल्क एवं किराया का आगणन करते हुये नियमानुसार आवंटन की विधिक प्रक्रिया तत्काल पूर्ण कराई जा सके।

21/04/22

**अपर नगर आयुक्त**
**नगर निगम वाराणसी।**

**प्रतिलिपि–**

1. माननीय महापौर महोदया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. नगर आयुक्त महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सर्वसम्बन्धित को सूचनार्थ।

**अपर नगर आयुक्त**
**नगर निगम वाराणसी।**